

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 258/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/759

1. श्री हेमन्त पुत्र उमाशंकर जी, जाति ब्राहमण, उम्र-वयस्क, निवासी-टुकडा, तहसील/जिला-राजसंगद (राज०)
2. श्री कृष्णकांत पुत्र उमाशंकर जी, जाति ब्राहमण, उम्र-वयस्क, निवासी-टुकडा, तहसील/जिला-राजसंगद (राज०)
3. श्रीमती कंचन देवी पत्नी उमाशंकर जी, जाति ब्राहमण, उम्र-वयस्क, निवासी-टुकडा, तहसील/जिला-राजसंगद (राज०)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री उच्छब कुंवर पत्नी रणजीतसिंह जी, जाति राजपुत, उम्र-वयस्क, निवासी वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
2. श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र रणजीतसिंह जी, जाति राजपुत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
3. श्री उदयलाल पुत्र तुलछा जी, जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
4. श्री गणपतलाल पुत्र तुलछा उर्फ तुलसीराम जी. जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती छगनीबाई पुत्री तुलछा उर्फ तुलसीराम जी, जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
6. श्री पन्नालाल कुमावत पुत्र तुलसीराम जी जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
7. श्रीमती मांगीबाई पुत्री तुलसीराम उर्फ तुलछा जी जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
8. श्री रूपलाल पुत्र रामा जी जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
9. श्री डालचंद पुत्र रामा जी जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
10. श्रीमती शांतिबाई पुत्री रामा जी, जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
11. श्री हीरालाल पुत्र रामा जी जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
12. श्रीमती रविना पुत्री गुलाबचंद जी जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
13. श्रीमती सम्पतबाई पत्नी गुलाबचंद जी जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
14. श्री सीताराम पुत्र गुलाबचंद जी जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०) जाता



15. श्री कसना पुत्र हुक्मा जी जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
16. श्री उदा पुत्र भजा जी जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
17. श्री रामलाल पुत्र नन्दा जी जाति कुमावत, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनीकलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०) फोट
18. श्री श्यामलाल पुत्र रामकुमार जी जाति अग्रवाल, उम्र-वयस्क, निवासी-फतहनगर, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
19. श्रीमती सरोज जैन पत्नी धमेन्द्र जी जाति जैन उम्र-वयस्क, निवासी-मकान संख्या-1, वार्ड नं०-11, इन्दिरा कॉलोनी, फतहनगर, तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
20. श्रीमती केसर पुत्री विरभाण जी जाति गाडरी, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनी कलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
21. श्रीमती चन्दरीबाई पुत्री विरभाण जी जाति गाडरी, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनी कलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
22. श्री नारायण पुत्री विरभाण जी जाति गाडरी, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनी कलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
23. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री विरभाण जी जाति गाडरी, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनी कलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०)
24. श्रीमती हुडीबाई पत्नी विरभाण जी जाति गाडरी, उम्र-वयस्क, निवासी-वासनी कलां, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज०) फोट
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला-उदयपुर (राज.)
26. पटवारी पटवार हल्का वासनीकलां तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज.)

.....विपक्षीगण

उपस्थित :- 1. श्री शैलेन्द्र सिंह राणावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण ।

2. श्री दशरथ सिंह पंवार, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 19 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम निर्णय

दिनांक : 15.01.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा वासनीकला पटवार हल्का वासनीकला तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1276 रकबा 4.7105 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में हम प्रार्थीगण हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पड़ोस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य रोज सरहद को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए हमारी कृषि भूमि की सभी दिशाओं की सीमा की पत्थरगड़ी करा सीमांकन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो। अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस

आशय का आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थीगण की भूमि की चारो दिशाओ का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करने का आदेश प्रदान करवाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 3 से 15, 18, 20 से 23 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 25, 26 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। विपक्षी संख्या 19 का वकालत पत्र अधिवक्ता दशरथ सिंह पवार द्वारा प्रस्तुत किया गया। विपक्षी संख्या 2, 16, 17, 24 के विरुद्ध अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत निवेदन किया। अतः विपक्षी संख्या 2, 16, 17, 24 के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। विपक्षी संख्या 19 का वकालत पत्र अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह पवार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समाप्त किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मौजा वासनीकला पटवार हल्का वासनीकला तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 15 पर दर्ज आराजी नम्बर 1276 रकबा 4.7105 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नहीं चाही गई है। उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नहीं रहेगा। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।
4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/-रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा वासनीकला पटवार हल्का वासनीकला तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 15 पर दर्ज आराजी नम्बर 1276 रकबा 4.7105 हैक्टेयर भूमि की चारो दिशाओ का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थी, विपक्षीगण/ पड़ोसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगड़ी प्रार्थी, विपक्षीगण/ पड़ोसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर

पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगडी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। उभय पक्ष कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।

5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर